झारखंड उच्च न्यायालय रांची

सिविल रिट याचिका संख्या - 3610/2019

कपिलदेव सिंह, उम्र लगभग 46 वर्ष, पुत्र हरिहर सिंह, निवासी
ग्राम का - पथलडीहा, डाकघर+थाना+ जिला-कोडरमा .....याचिकाकर्ता

- बनाम-

1. झारखण्ड राज्य
2. उपायुक्त, कोडरमा डाकघर+थाना+ जिला -कोडरमा.
3. भूमि सुधार उपायुक्त, कोडरमा, डाकघर+थाना+ जिला -कोडरमा.
4. अंचल अधिकारी-सह-समाहर्ता, भूमि अतिक्रमण, कोडरमा, डाकघर+ थाना+ जिला -कोडरमा ..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए : श्री साहिल, अधिवक्ता
सम्मान के लिए- राज्य : श्री जयंत फ्रैंकलिन टोप्पो, जीए वी
सुश्री मौसमी चटर्जी, एसी टू जीए वी
प्रतिवादी के लिए : श्री आलोक आनंद, अधिवक्ता
श्री आशीष कुमार, अधिवक्ता
श्री रमेश क्र. सिंह, अधिवक्ता

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमान अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- आई.ए. 8033/2019

पक्षों को सुना।

2. हस्तक्षेपकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि यह अंतरिम आवेदन इस रिट याचिका में हस्तक्षेपकर्ता को पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

3. हस्तक्षेपकर्ता के विद्वान वकील ने अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्तुत किया है कि हस्तक्षेपकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 को 30.05.2017 को एक आवेदन दिया था जिसमें याचिकाकर्ता को गैर मजरूवा आम भूमि पर कोई निर्माण/अतिक्रमण करने से रोकने का अनुरोध किया गया था, जिसका अन्यथा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है। याचिकाकर्ता ने पहले तथ्यों को छिपाने के बाद 2018 की सिविल

रिट याचिका संख्या 1770/2018 दायर की थी जिसमें समन्वय पीठ ने याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने की अनुमति दी थी। हस्तक्षेपकर्ता अदालत की सहायता कर सकता है क्योंकि वह सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रार्थना के संबंध में प्रासंगिक दस्तावेजों से लैस है क्योंकि याचिकाकर्ता ने सादा हुकुमनामा और फर्जी किराया रसीदों के आधार पर शीर्षक का दावा करते हुए भौतिक तथ्यों को छिपाकर यह रिट याचिका दायर की है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस आधार पर हस्तक्षेपकर्ता को पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की प्रार्थना पर आपत्ति जताई है कि हस्तक्षेपकर्ता का दावा कि उसने प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ता को सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने से रोकने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जो सत्य नहीं है, इसलिए हस्तक्षेपकर्ता को पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

5. बार में किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतीकरणों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यह न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अतिक्रमण मामले की शुरुआत में हस्तक्षेपकर्ता की भूमिका थी या नहीं, इस पर इस स्तर पर अंतिम रूप से निर्णय नहीं लिया जाना है और जैसा कि प्रथम दृष्टया हस्तक्षेपकर्ता ने इस आशय के दस्तावेज दिखाए हैं कि वह याचिकाकर्ता के खिलाफ अतिक्रमण मामले में सार्वजनिक भूमि के लिए प्रार्थना की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था; इसलिए, यह न्यायालय इस विचार पर है कि यह एक उपयुक्त मामला है, जहां हस्तक्षेपकर्ता की इस रिट याचिका के प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में उसे पक्षकार बनाने की प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है।

6. रजिस्ट्री को इस रिट याचिका के वाद-शीर्षक में आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया जाता है।

7. तद्नुसार, इस अंतर्वर्ती आवेदन को अनुमति दी जाती है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

<u>सिविल रिट याचिका संख्या 3610/2019</u>

1. यह रिट याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है भारत अनुलग्नक-6 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ जिसके तहत और जहां के तहत याचिकाकर्ता को कथित अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। खाता संख्या 114, प्लॉट संख्या 1701 से संबंधित भूमि जिसका क्षेत्रफल 3.67 डी० है जो कि कोडरमा जिले के मौजा पथलडीहा, थाना संख्या 302 में स्थित है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता है इस बात से व्यथित है कि भले ही याचिकाकर्ता का खाता संख्या 114, प्लॉट संख्या 1701 वाली भूमि से कोई सरोकार नहीं है फिर भी प्रतिवादी संख्या 4 ने याचिकाकर्ता को वहां से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है।

3. उत्तरदाताओं द्वारा दायर पूरक जवाबी हलफनामे में यह कहा गया है और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता ने खाता संख्या 114 की भूमि पर अतिक्रमण किया है लेकिन याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने संख्या 114 प्लॉट नंबर 1701 वाली जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि वह खाता संख्या 113 स्थित प्लॉट संख्या 1701 पर स्थित जमीन के असली मालिक जो कि एक याचिकाकर्ता की रैयती भूमि और इस संबंध में, याचिकाकर्ता के वकील ओर से कहना है कि याचिकाकर्ता के दादा रामलाल सिंह हैं जिसने कि एक बार 13.01.1977 को भू-राजस्व का भुगतान किया गया और बिना किसी पूर्वाग्रह के, याचिकाकर्ता के दादा के पक्ष में भू-राजस्व रसीद जारी की गई। अतः यह प्रस्तुत है कि उचित रिट, आदेश, निर्देश की प्रकृति में परमादेश उत्तरदाताओं को कोई भी बलपूर्वक कदम न उठाने का आदेश देता है और याचिकाकर्ता की रैयती भूमि के विरुद्ध में नोटिस जो कि पत्र क्रमांक 496 दिनांक 11.07.2019 जिसकी प्रति संलग्नक-6 पर रखी गयी है पारित किया जाए। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि तत्काल रिट याचिका पैरा-1 में उल्लिखित है लेकिन 2019 के त्वरित सिविल रिट याचिका संख्या 3610 के प्रार्थना भाग में इसका उल्लेख नहीं किया गया है रिट याचिका जिसकी प्रकृति में याचिकाकर्ता रिट जारी करने के लिए प्रार्थना करता है उक्त नोटिस को रद्द करने का प्रमाण पत्र, जिसकी प्रतिलिपि अनुलग्नक

6 में रखी गई है जैसा कि बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत जारी किया गया है जिसमे कि किसी भी भूमि अतिक्रमण मामले को शुरू किए बिना ही याचिकाकर्ता को जमीन पर कथित अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील इस न्यायालय का ध्यान अतिरिक्त प्रति-शपथपत्र के पृष्ठ-11 पर अनुलग्नक-ए की ओर आकर्षित करते हैं जो कि प्रतिवादी क्रमांक 2 से 4 की ओर से दिनांक12.10.2019 को दायर किया गया है कि इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह अतिक्रमण का मामला 18/06/2017 का है| यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि पहले भी याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष सिविल रिट याचिका संख्या 1770/2018 दायर कर चूका है और समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 04.06.2019 को पारित उक्त आदेश के अनुसार; उक्त अतिक्रमण प्रकरण संख्या 06/2017-18 में बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 3 (1) के तहत ताजा नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था और इस रिट याचिका के अनुबंध-3 में कहा गया है जो सूचना परिशिष्ट-6 में समाप्त हुई। तो, एकमात्र विवाद यह कि याचिकाकर्ता ने अनुबंध-6 में रखे गए नोटिस को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि नोटिस जारी किया गया था बिना किसी भूमि अतिक्रमण का मामला शुरू किये बिना जो कि पूरी तरह से झूठा है। इसलिए, यह है प्रस्तुत किया गया कि यह रिट याचिका बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज कर दी जाए।

5. बार में दिए गए प्रतिवादियों की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों का अध्ययन करना ही एकमात्र आधार है याचिकाकर्ता ने नोटिस को रद्द करने की मांग की है, जिसकी प्रति यहां अनुलग्नक-6 रखी गई है जो कि इसे बिना किसी भूमि अतिक्रमण का मामला. के पहल किए ही जारी किया गया था | अतिरिक्त प्रतिशपथ पत्र दिनांक 12.10.2019 में, विशेष रूप से अनुलग्नक-ए जो कि ऑर्डर-शीट का संकलन है कहा गया कि 2017-18 का अतिक्रमण प्रकरण क्रमांक 06, विशेषकर पृष्ठ क्रमांक 11 एवं 14 में वर्णित है। इसके बाद, इस न्यायालय को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि प्रतिवादियों द्वारा दी गई जानकारी यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि नोटिस, की प्रति जिसे इस रिट

याचिका के अनुलग्नक-6 में रखा गया है, 2017-18 के अतिक्रमण प्रकरण संख्या 06 में पारित आदेश के अनुसार जारी किया गया था।, इसलिए इस विवाद में याचिकाकर्ता का कहना है कि अनुबंध-6 में रखा गया नोटिस बिना किसी आदेश के जारी किया गया था फिर इस अतिक्रमण का मामले का खड़े होने का सवाल ही नहीं है।

6. याचिकाकर्ता का दूसरा तर्क यह है कि भले ही उसने प्लॉट नंबर - 1701 के खाता नंबर 114 की जमीन पर कब्जा नहीं किया है लेकिन फिर भी उसे अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। उक्त विवाद में प्रतिवादियों ने यह दावा करते हुए जोरदार विरोध किया है कि याचिकाकर्ता ने खाता संख्या - 114,प्लॉट, संख्या - 1701 की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है।

7. याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों द्वारा दिए गए विरोधाभासी तर्क को देखते हुए,

इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि विवादित तथ्य यह है कि चाहे याचिकाकर्ता के पास अतिक्रमण के माध्यम से खाता संख्या 114, प्लॉट संख्या 1701 के अंतर्गत आने वाली भूमि का कब्जा है या नहीं, का समाधान नहीं किया जा सकता है और रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में एक उच्च न्यायालय के रूप में लिया गया निर्णय तथ्य का विवादित प्रश्न का आकर देता है।

8. ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय रिट याचिका की अनुमति देने के इच्छुक नहीं है और इस रिट याचिका को तदनुसार स्वतंत्रता के साथ खारिज किया जाता है। याचिकाकर्ता को अपनी बात स्थापित करने के लिए सिविल कोर्ट में जाने की सलाह दी गई है जिस भूमि पर वह अधिकार, स्वामित्व और हित के मालिक होने का दावा करता है।

9. यह रिट याचिका तदनुसार निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखण्ड उच्च न्यायालय,रांची
दिनांकित 12 मार्च, 2024
AFR/ Anime

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।